

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
न्याय विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं 3302  
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

### राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित मामले

#### +3302. श्री हनुमान बेनीवाल :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान उच्च न्यायालय में पिछले पांच वर्षों या उससे अधिक समय से लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने वर्षों से लंबित मामलों के कारणों की समीक्षा की है और उक्त अनुमान में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने गांवों में ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए कोई निदेश जारी किए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य के तहत राजस्थान में कितने ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए हैं और कितने ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाने शेष हैं ?

#### उत्तर

#### विधि और न्याय मंत्री ( श्री किरेन रीजीजू )

(क) : पिछले पांच वर्ष या अधिक से राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों का विवरण निम्नानुसार है :-

विशिष्टियां	सिविल	दांडिक	कुल योग
3 से 5 वर्ष	57830	17504	75334
5 से 10 वर्ष	67004	19516	86520
10 से 20 वर्ष	49821	23972	73793
20 से 30 वर्ष	4426	6580	11006
30 वर्ष से अधिक	117	407	524

कुल योग	179198	67979	247177
---------	--------	-------	--------

**(ख) :** न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । न्यायालयों में मामलों का समय पूर्ण निपटारा बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों तथा मुक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित उपयोजन, सम्मिलित है । ऐसे कई अन्य कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटारे में विलम्ब होता है । इनके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बारंबार स्थगन तथा सुनवाई के लिए मामलों को मॉनिटर, निगरानी और इकठ्ठा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे तथा बकाया को कम करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिक प्रणाली प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन के विकास पर जोर भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8709.77 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या, जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 20,565 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 18,142 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,841 न्यायालय हाल और 1,807 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपए होगा । न्यायालय हालों तथा आवासीय इकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों तथा डिजीटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा ।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना** : सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। 01.07.2021 तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 18,735 की वृद्धि हुई है। 98.7% न्यायालय परिसरों में डब्ल्यूएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है। सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 19.56 करोड़ मामलों तथा 15.72 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्राप्ति जान सकते हैं। ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्राप्ति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वेब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं। 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है। कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आगामी सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्राप्ति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है। विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में आभासी सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश और ओडिशा में पन्द्रह आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं। तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों ने 99 लाख से अधिक मामले निपटाए तथा 193.15 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी। कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 31.10.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,01,77,289 सुनवाईयां और उच्च न्यायालयों ने 55,24,021 (कुल 1.57 करोड़) सुनवाईयां की हैं। उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 29.10.2021 तक 1,50,692 सुनवाईयां कीं।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 29.11.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 44 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 688 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 583 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
13.12.2021	24,489	19,356

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है । भूतकाल में विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, मामले को उठाया गया है । विभाग ने मलिमथ समिति की रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट करने के लिए एक आनलाइन पोर्टल विकसित किया है ।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा में विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंतर्वलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 31.10.2021 तक जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 914 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं । निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंतर्वलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु,

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है। आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं। इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए। वर्तमान में, 681 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 381 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं, जिन्होंने 31.10.2021 तक 64217 मामले निपटाए। एफटीएससी की स्कीम को और दो वर्षों (2021-23) तक 1572.86 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपए हैं, निरन्तर रखने के लिए अनुमोदित किया गया है।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है।

(ग): नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 को अधिनियमित किया है। यह मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करता है। राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, यह अधिनियम ग्राम न्यायालयों की स्थापना को बाध्यकारी नहीं बनाता। नेशनल फेडरेशन आफ सोसाइटी फार फास्ट जस्टिस और अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य (रिट याचिका (सिविल) सं. 1067/2019) के मामले में अपने आदेश तारीख 29.01.2020 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने ग्राम न्यायालयों के लिए आवृत्ति अनुदान बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पर विचार करने हेतु निदेशित किया था।

ग्राम न्यायालय स्कीम को केन्द्रीय सरकार द्वारा और 5 (पांच) वर्षों के लिए 2025-26 तक 50 करोड़ रुपए के कुल बजट परिव्यय के साथ बढ़ाया गया है।

(घ): राजस्थान राज्य सरकार और उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार राजस्थान में 45 ग्राम न्यायालय अधिसूचित और प्रचालित किए गए हैं।

\*\*\*\*\*